न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 03/2022 दायरा दिनांक 28.04.2022
GCMS No. 2022/20

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

गोरधन पुत्र गंगाराम जाति काछी निवासी केलवाडा तहसील शाहवाद जिला बारां **– अपीलाण्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला–बारां राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

1. श्री पंकज शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट।
2. पैरोकार सरकार – रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक 28.08.2024

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार शाहबाद दिनांक 23.12.2010 नामान्तरकरण संख्या 180 ग्राम बूढी पटवारी हल्का सन्दोकडा

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.12.2010 ग्राम बूढी को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

अपीलान्ट के खाते की भूमि ग्राम बूढी पटवार हल्का सन्दोकडा में खाता संख्या 56 के आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 2.01 बीघा, खसरा नम्बर 33 रकबा 3.10 बीघा, खसरा नम्बर 38 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नम्बर 40 रकबा 1.15 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 9.00 बीघा हिस्सा 1/15 रही है उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता के खातेदार गंगाराम पुत्र रतना जाति काछी निवासी केलवाडा नाम दर्ज थी जिनकी मृत्यु के बाद विरासत में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 180 पर सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2010 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट यह अपील प्रस्तुत कर रहा है।

अपीलान्ट मृतक खातेदार का सगा पुत्र है लेकिन उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त मृतक खातेदार के वारिसान में अपीलान्ट का नाम गलत रूप से राजाराम दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट का सही नाम गोरधन है जो आधार कार्ड मार्कशीट आदि में दर्ज है राजाराम नाम अपीलान्ट का कोई भाई या मृतक खातेदार का पुत्र नहीं है इसी गलत प्रविष्टि की हद तक अपीलान्ट प्रश्नगत नामान्तरकरण को चैलेंज कर रहा है और अपीलान्ट राजाराम के स्थान पर नाम गोरधन दर्ज कराने का हकदार है।

अपीलान्ट द्वारा दिनांक 06.04.2022 को उक्त आराजियात की पटवारी हल्का से नकल नामान्तरकरण लेने पर पता चला कि उक्त आराजियात के फोती नामान्तरकरण संख्या 180 में अपीलान्ट का नाम गलत दर्ज हो गया है जो अपीलान्ट को कोई सूचना दिये बिना दर्ज किया गया है। जिसकी अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.04.2022 को पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुई है धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों पर डिले कन्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम राजाराम गलत दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट का सही नाम गोरधन है।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील ने कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम राजाराम गलत दर्ज किया गया हैं, जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम गोरधन है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज में अपीलान्ट का नाम राजाराम दर्ज होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम बूढी का नामान्तरकरण संख्या 180 दिनांक 23.12.2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्ट के नाम की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल नामान्तरकरण संख्या 180 दिनांक 23.12.2010 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner